Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding setting up a mechanism to verify the blood sugar level in India.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मुझे सत्रहवीं लोक सभा में पहली बार बोलने का मौका मिला है । मेरा विषय ब्लड शुगर स्टैन्डर्ड के संबंध में है । अभी हाल ही में स्पेन में बड़ी-बड़ी कंपनियों की एक मीटिंग हुई थी, जो ब्लड शुगर की दवा बनाती हैं । उसमें कहा गया, अभी फास्टिंग ब्लड शुगर की लिमिट 120 है, उसको 100 कर दिया जाए । इसका मतलब यह है कि चालीस प्रतिशत दवा ज्यादा बिक्री होगी और देश में 70 प्रतिशत लोग बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे ।

अगर हिस्ट्री देखी जाए, वर्ष 1997 में फास्टिंग में ब्लड शुगर की लिमिट 160 थी, उसको धीरे-धीरे कम करके 120 कर दी गई । मेरा कहना है कि उससे हॉस्पिटल पर प्रैशर होगा, यह मानक डब्ल्यूएचओ तय करता है । क्यों नहीं हमारे यहां इस तरह का मैकेनिज्म हो, लैबोरेटरीज हो, जिसमें हम इसको वैरिफाई करें कि उनके मानक सही हैं या नहीं? इससे कम से कम यह पता लग जाएगा । । अगर 70 प्रतिशत लोग बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे तो इससे हॉस्पिटल पर प्रैशर होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय कुमार, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री राहुल कस्वां और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री पी. पी. चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

आज माननीय सदस्य वकील से डॉक्टर हो गए हैं ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): It is more dangerous when a lawyer becomes a doctor.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Doctor is saved only by a lawyer.